तारीख हुक्म	प्रकरण क्र 20/2022 जमना बनाम ईश्वरलाल वगैरह वगैरह 2022/287 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज निर्णय दि 16/10/25	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधि. उपस्थित है। उभय पक्षो को बहस के लिए कहा गया बहस हेतु और समय चाहा गया एक बार और समय दिया जाता पत्रावली वास्ते बहस के दिनांक 16/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) रायपुर	
16/10/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आ.प्र. अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा से सुलह निकालने की वार्ता होने से प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चलाना चाहते है व भविष्य में राजीनामा की पालना नहीं ~~होने~~ करने पर प्रार्थीगणों के पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगणों के पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये विड्रो की अनुमति दिलाते हुये प्रकरण को खारिज करवाया जाने का आदेश का निवेदन किया। प्रार्थीगणों के अधिवक्ता को आ.प्र. अन्तर्गत आदेश 23 नि 3 जा.दी. पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षो के बीच आपसी राजीनामा हो जाने से एवं भविष्य में राजीनामा की पालना नहीं करने पर प्रार्थीगणों के पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण को विड्रो खारिज किया जाता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	उचित है। अतः प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नि 3 जा दी का स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से भविष्य में राजीनामा की पालना नहीं करने पर प्रार्थीगणों को पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं चाहने से विड्रो स्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर फैसल शुमार होकर नत्थी हो कर हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जयपुर